महिला हेल्पलाइन

औरतों के साथ मार पिटाई करना, उनको ताने देना, उनके चरित्र पर शक करना, उनको उनकी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखना, लड़कियों की उनकी मर्जी के बगैर विवाह करना, महिलाओं को नौकरी करने के लिए दबाव बनाना अथवा नौकरी न करने देना, जब कभी भी उन्हें घर से निकाल देना या निकालने की धमकी देना आदि बहुत सारी ऐसी बातें रोजमर्रा होती हैं। अपने आस पड़ोस के घरों में हो रही इन घटनाओं को हम आप घर का निजी मामला मानकर छोड़ देते हैं, जबकि ये सब मामले ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा के दायरे में आतें है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि महिला उत्पीड़न का स्वरूप उनकी हत्या तक में परिवर्तित हो जाता है यदि नहीं हुआ तो हालातों से तंग आकर महिलायें स्वय ही मृत्यु को गले लगा लेती है । इस तरह महिलाओं के प्रति हिंसा के विभिन्न प्रकार हैं जो कन्या के गर्भ में आने से प्रारम्भ होकर महिला के मृत्यु तक जारी रहता है।

खैर अच्छी बात तो यह है कि महिला अधिकारों को संरक्षित करने के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण कानून १३ सितम्बर २००५ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५ के नाम से आए इस कानून से महिला अधिकारों को घर के अंदर भी संरक्षित करने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद बढ़ी हैं। क्योंकि इस कानून के तहत घरेलू हिंसा को पहली बार अपराध के रुप में माना गया है, वरना अब तक तो इसे सिर्फ परिवार के बीच का आपसी विवाद मानकर अनदेखा किया जाता रहा है। इस कानून के अर्न्तगत वैवाहिक सम्बन्धों के अलावा अन्य रिश्तों में रह रही महिला के अधिकारों की भी बात की गई है । इस कानून का उद्देश्य ही घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को तत्काल राहत पहुँचाना है।

इस अधिनियम की धारा तीन में घरेलू हिंसा की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है । जिसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा अभियुक्त द्वारा किया गया एक ऐसा कार्य/ कृत्य है -

- जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन , अंग अथवा भलाई के प्रति क्षति या खतरा , चाहे मानसिक अथवा शारीरिक रुप से करना या ऐसा प्रयास करना जिसके अर्न्तगत शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, लैंगिक

दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार आते हैं।

- पीड़ित व्यक्ति को हतोत्साहित करना, क्षति पहुँचाना, संकट में डालना, जानबूझ का पीड़िता या उसके किसी संबंधित को पीड़ित करना कि वह किसी दहेज या अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अनुचित / अवैध मॉग को पूरा करें।
- कोई ऐसा व्यवहार जो कि पीड़ित या उससे संबंधित व्यक्ति को भयग्रस्त करें।
- पीड़ित व्यक्ति को क्षति, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, पहुँचाता हो।

हेल्प लाईन क्यों

जैसा कि आप सब को विदित है कि महिला अधिकारों को संरक्षित करने तथा उन्हें घर के अंदर से भी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस कानून का समर्थन देश की सभी महिला संगठनों ने किया। अब बारी इस कानून के सही क्रियान्वयन में मदद करने की है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने की दिशा में लागू इस कानून के क्रियान्वयन की स्थिति को देखते हुए हमने महसूस किया कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को तत्काल मदद की आवश्यकता होती है। केवल कानून होने की जानकारी होना भर उन्हें अपनी स्थिति से उबरने में उतनी मदद नहीं कर सकता। जितना कि कोई व्यक्ति उनके साथ रह कर उन्हें सहयोग प्रदान करके कर सकता है। ऐसे में हमने महसूस किया कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु हेल्पलाईन की अत्यंत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को अपने स्तर पर पूरा करने के क्रम में संगिनी द्वारा एक हेल्प लाईन की शुरूआत की जा रही है । जहॉ घरेलू हिंसा से पीडित कोई भी महिला इस केन्द्र मे आकर अपने लिए न्याय पाने में हमारा सहयोग प्राप्त कर सकती हैं। संगिनी घरेलू हिसां से पीड़ित महिलाओ के साथ होने वाली हिसां को नारीवादी नजरिये से समझने का प्रयास करते हुये महिला को स्वयं अपनी सहायता व निर्णय करने के बीच एक कड़ी की भूमिका अदा करेगी।

हेल्प लाईन की भूमिका :

घरेलू हिंसा कानून के पारित होने को बावजूद भी हिंसा से पीड़ित महिलाएं इस कानून के प्रावधानों का फायदा नहीं उठा पा रही हैं। ऐसे में जरुरत इस बात की है कि इन कानून के बारें में कम से कम उन महिलाओं की सहायता की जाए जो इस हेल्प लाईन के तहत् घरेलू हिंसा की परिस्थिति से बाहर निकलना चाहती हैं। हम इस हेल्प लाईन के तहत् महिलाओं को आश्राय, परामर्श, वैधानिक जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग तथा अन्य संस्थाओं से जुड़ाव में मदद करने का कार्य करेगें।

परामर्श :

सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब कोई महिला घरेलू हिंसा से संर्घष कर रही होती है और वो ये नहीं चाहती कि उसका परिवार टूटे और उसके साथ हिंसा भी न हो। ऐसे मे

हमारा प्रयास होगा कि हम बातचीत के माध्यम से उसे हिंसा मुक्त कराने मे उसकी मदद कर सकें। इस हेल्प लाईन का उद्धेश्य घरेलू हिसां से पीड़ित महिलाओ को सलाह व परार्मश का कार्य करना है हमारा प्रयास होगा कि हम दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाये और साथ ही साथ परिवार व समाज में एक ऐसा माहौल बनाने मे मदद करे जहॉ महिला सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। परन्तु हमारा प्रयास होगा कि महिलायें अपना निर्णय स्वयं ले न की हम उन पर अपना निर्णय थोपे और इनके इस निर्णय मे हम उन्हें उस परिस्थिति से निपटने हेतु सलाह व परार्मश देने का कार्य करेगे।

पुलिस हस्तक्षेप

आम तौर पर देखा जाता है कि हिंसा से पीड़ित महिलायें सबसे पहले पुलिस के पास जाती हैं परन्तु पुलिस द्वारा उनके साथ होने वाली हिंसा की गंभीरता को न समझते हुए केस दर्ज करने मे सहयोग नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में हेल्प लाईन के माध्यम से महिलाओं की केस दर्ज करवाने में सहायता की जायेगी। साथ ही साथ पुलिस के पास घरेलू हिंसा से संबंधित दर्ज मामलों की जॉच व विवेचना में प्रगति हो इस हेतु भी प्रयास करना हमारा काम होगा। इसी तरह हमारा प्रयास होगा कि घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को घरेलू हिंसा कानून के तहत सुरक्षा पहुँचाने मे मदद करें।

आवास व्यवस्था

कई बार महिलाओ के लिये हिंसा के स्थान पर रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योकि उस जगह उसे हर वक्त असुरक्षा के साथ साथ हिंसा होने का डर सताता रहता है। हांलाकि घरेलू हिंसा कानून मे महिला को साझी गृहस्थी मे निवास का अधिकार दिया गया परन्तु इसके बावजूद यदि महिला उस घर मे नही रहना चाहती या उसे अन्य आवास संबधित समस्या हैतो हमारा प्रयास होगा कि हम महिला को सुरक्षित आश्रय मिलने में उसकी सहायता करें।

कानूनी सलाह व सहायता

घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को सबसे जरूरी आवश्यकता होती है वक्त पर सही कानूनी परार्मश व सहायता की, जिसके अभाव में वे न्याय तक नहीं पहुँच पाती। जो कुछ पहुँचती भी हैं तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रयास होगा कि हम विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं अन्य कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने में एक कडी के रूप में कार्य कर पाए।

हेल्प लाईन की सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती हैं-

हिंसा से पीड़ित महिलायें हमसे सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्न उपाय कर सकती हैं-

- टेलीफोंन पर सूचना देकर या पत्र लिखकर हमें अपनी स्थिति व क्या

सहयोग चाहती हैं, बताएं।

- ✦ हमारे कार्यालय या कार्यकर्ता के पास स्वंय आकर शिकायत दर्ज करें।
- ✦ किसी अन्य माध्यम से सूचना भिजवा सकती हैं ।

केन्द्र में हमारे सहयोगी व सलाहकार साथी

महिला बाल विकास अधिकारी

कानूनी सलाहकार

सेवा प्रदाता

परामर्श दाता

पुलिस

महिला संगठन

मीडिया कर्मी

समुदाय कार्यकर्ता

मनोचिकित्सक

केन्द्र में सम्पर्क -

सोमवार से शनिवार रोजाना १० बजे से सांय ६ बजे तक
(रविवार अवकाश)

हमारा पता है -

संगिनी

महिला सहायता केन्द्र

जी -3/385 गुलमोहर कालोनी भोपाल

फोन-0755-4276158

ई मेल sangini_center@rediffmail.com
sangini_center@yahoo.com